<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 45 / 13</u> संस्थापन दिनांक:--11 / 02 / 13 फाईलिंग नं. 233504001382013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

शेख नूरी पिता शेरू मुसलमान उम्र 23 वर्ष, निवासी बस स्टेंड आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 20.06.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 11. 02.2013 को समय 08:20 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत बस स्टेंड आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.02. 2013 को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेंड आमला में नूरी हाथ में लोहे की छुरी लिए आतंक मचा रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लहराते मिला जिससे आम जन भयभीत हो रहे थे। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं लोहे की छुरी रखने के संबंध में लायसेंस नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 45/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

4

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.02.2013 को समय 08:20 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत बस स्टेंड आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 11.02. 2013 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ बस स्टेंट आमला पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में छुरी लिए घूम रहा था। जिस पर उसने अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श पी—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 45/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—7) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल—ए1 की छुरी वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।
- 6 शेख अलीम (अ.सा.—1) एवं यादोराव (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) पर उनके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी शेख अलीम (अ.सा.—1) एवं यादोराव (अ. सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आर.के. दुबे (अ. सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर मौके पर जाना तथा अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि जप्तशुदा छुरी को उसके द्वारा मौके पर ही सीलबंद किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि सूचना मिलने के बाद वह तुरंत मौके पर स्टाफ के साथ पहुंच गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने जप्तशुदा छुरी की नाप किस चीज से की थी इसके उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि छुरी धारदार नहीं थी। साक्षी ने यह सही होना बताया है कि मौके पर अर्थात बस स्टेंड पर अभियुक्त के पिता की होटल है, जहां से थाने में बंद मुलजिमों के लिए खाना आता है।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध कमांक लेख है जिससे उक्त प्रपत्रों को जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 08:20 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 08:30 लेख है। मात्र 10 मिनट में अभियुक्त से कथित आयुध को जप्त का उसकी नापजोप करना, उसे सीलबंद करना, जप्ती प्रपत्र तैयार करना एवं तत्पश्चात गिरफ्तारी पत्रक तैयार करना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की गयी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.—3) के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही जप्तशुदा आयुध धारदार था ऐसा भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हुआ है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती का समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.02.2013 को समय 08:20 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत बस स्टेंड आमला में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त शेख नूरी को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)